



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232191
CG-DL-E-28122021-232191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5006]
No. 5006]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5397(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3546(अ), तारीख 26 अगस्त 2021, भारत के राजपत्र सं. 3251 तारीख 31 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील पेटलावद जिला झाबुआ राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : झाबुआ		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पेटलावद	रल्यावन	741	00	08	90
		742	00	00	56
		746	00	09	75
		747	00	00	20
		748	00	01	00
		750	00	04	57
		749/1	00	00	20
		749/2	00	02	30
		753	00	17	93
		756	00	01	12
		412	00	00	35
पेटलावद	कचराखदान	413	00	02	03
		414	00	02	32
		409	00	06	13
		426	00	04	78
		427	00	05	96
		428	00	00	20
		433	00	15	32
		435	00	00	22
		434	00	01	18
		420	00	00	20
		442	00	02	27
		439	00	09	01
		440	00	04	82
		441	00	09	29
		449	00	07	38
		534	00	00	84
		468	00	01	86
		469	00	06	97
		465	00	05	31

		464	00	01	15
		460	00	10	97
		476/1	00	01	51
		476/2	00	01	47
		476/5	00	01	64
		476/6	00	01	59
		476/7	00	02	66
		476/8	00	00	66
		476/9	00	00	35
		476/10	00	00	20
		477	00	07	81
		478	00	00	20
		488	00	06	84
		493	00	12	58
		502	00	13	65
		501	00	00	41
		498	00	02	83
		497	00	01	25
		496	00	10	03
		527	00	15	00
		529	00	04	37
		530	00	09	20
		532	00	03	15
		531	00	19	48
		525	00	01	75
पेटलावद	गुलरीपाडा	36	00	02	92
		35	00	03	09
		34	00	10	00
		32	00	00	20
		30	00	05	81
		27	00	00	84
		3	00	03	90
		5	00	09	22
		8	00	00	20
		22/1	00	01	03
		22/2	00	03	76

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5397(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3546(E) dated 26 August, 2021 published in the Gazette of the India Gazette No 3251 dated 31 August 2021 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in tehsil Petlawad District Jhabua In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 30 September 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Jhabua		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Petlawad	Ralyawan	741	00	08	90
		742	00	00	56
		746	00	09	75
		747	00	00	20
		748	00	01	00
		750	00	04	57
		749/1	00	00	20
		749/2	00	02	30
		753	00	17	93
		756	00	01	12
Petlawad	Kachra Khadan	412	00	00	35
		413	00	02	03
		414	00	02	32
		409	00	06	13

		426	00	04	78
		427	00	05	96
		428	00	00	20
		433	00	15	32
		435	00	00	22
		434	00	01	18
		420	00	00	20
		442	00	02	27
		439	00	09	01
		440	00	04	82
		441	00	09	29
		449	00	07	38
		468	00	01	86
		469	00	06	97
		465	00	05	31
		464	00	01	15
		460	00	10	97
		476/1	00	01	51
		476/2	00	01	47
		476/5	00	01	64
		476/6	00	01	59
		476/7	00	02	66
		476/8	00	00	66
		476/9	00	00	35
		476/10	00	00	20
		477	00	07	81
		478	00	00	20
		488	00	06	84
		493	00	12	58
		502	00	13	65
		501	00	00	41
		534	00	00	84
		498	00	02	83
		497	00	01	25

		496	00	10	03
		527	00	15	00
		529	00	04	37
		530	00	09	20
		532	00	03	15
		531	00	19	48
		525	00	01	75
Petlawad	Gularipada	36	00	02	92
		35	00	03	09
		34	00	10	00
		32	00	00	20
		30	00	05	81
		27	00	00	84
		3	00	03	90
		5	00	09	22
		8	00	00	20
		22/1	00	01	03
		22/2	00	03	76

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.